

an>

Title: Papers laid on the table of the House by Members/Ministers.

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANACE (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 296 of the Income Tax Act, 1961:-

- (i) S.O.3288(E) published in Gazette of India dated 25<sup>th</sup> October, 2016, together with an explanatory memorandum appointing authorities for discharge the functions of the Adjudicating authority and Appellate Tribunal until the Adjudicating Authorities are appointed and the Appellate Tribunal is established under the Prohibition of Benami Property Transaction Act, 1988.
- (ii) S.O.3289(E) published in Gazette of India dated 25<sup>th</sup> October, 2016, together with an explanatory memorandum appointing 1<sup>st</sup> day of November, 2016 as the date on which provisions of the Benami Transaction (Prohibition) Amendment Act, 2016 shall come into force.
- (iii) The Prohibition of Benami Property Transactions Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.1004(E) in Gazette of India dated 25<sup>th</sup> October, 2016, together with an explanatory memorandum.
- (iv) S.O.3290(E) published in Gazette of India dated 25<sup>th</sup> October, 2016, together with an explanatory memorandum directing the Income-tax Authorities to exercise the power and perform the functions of the "Authority" under the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988.
- (v) The Income-tax (32<sup>nd</sup> Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. S.O.3498(E) in Gazette of India dated 21<sup>st</sup> November, 2016, together with an explanatory memorandum.
- (vi) The Income-tax (2<sup>nd</sup> Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.117(E) in Gazette of India dated 9<sup>th</sup> February, 2017, together with an explanatory memorandum.
- (vii) S.O.600(E) published in Gazette of India dated 23<sup>rd</sup> February, 2017, together with an explanatory memorandum notifying for the purposes of the clause (48) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961, the National Iranian Oil Company, as the foreign company and the Memorandum of Understanding entered between the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas and the Central Bank of Iran on the 20<sup>th</sup> day of January, 2013 as modified by the minutes of meeting signed on the 16<sup>th</sup> August, 2016.
- (viii) The Income-tax (1<sup>st</sup> Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.14(E) in Gazette of India dated 6<sup>th</sup> January, 2017, together with an explanatory memorandum.

[Placed in Library, See No. LT 6859/16/17]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (7) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975:-

- (i) G.S.R.290(E) published in Gazette of India dated 24<sup>th</sup> March, 2017, together with an explanatory memorandum seeking to impose definitive anti-dumping duty on Indolinone, originating in, or exported from People's Republic of China pursuant to the final findings in anti-circumvention investigations conducted by the Directorate General of Anti- dumping and Allied Duties upto and inclusive of the 20<sup>th</sup> November, 2019.
- (ii) G.S.R.291(E) published in Gazette of India dated 24<sup>th</sup> March, 2017, together with an explanatory memorandum seeking to prescribe provisional assessment of all imports of 1,1,1,2-Tetrafluoroethan, originating in, or exported from People's Republic of China (Producer or Exporter), M/s Zhejiang Sanmei Chemical Products Company Limited, People's Republic of China (Exporter), M/s Jiangsu Sanmei Chemical Industry Company Limited, People's Republic of China (Producer) into India without collecting anti-dumping duty already imposed, subject to furnishing of security or guarantee, pending the outcome of New Shipper Review initiated by Directorate General of Anti- dumping and Allied Duties.

[Placed in Library, See No. LT 6860/16/17]

- (3)
- (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pension Fund Regulatory Authority, New Delhi, for the year 2015-2016.
  - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pension Fund Regulatory Authority, New Delhi, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 6861/16/17]

रवासश्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फ़ग्नन सिंह कुलस्ते) : महोदया, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता है :-

(1) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य प्रत्याहान प्रक्रिया) विनियम, 2017 जो 20 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० 1-59/ एफएसएआई/ 2009 में प्रकाशित हुए थे।

(2) खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 जो 10 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० 1/2008/आयात सुरक्षा/एफएसएआई में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 6862/16/17]

वित मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन यम मेघवाल) : महोदया, में निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता है :-

(1) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) (संशोधन) विनियम, 2017 जो 17 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 260(अ) में प्रकाशित हुए थे।  
(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (आरत से बाहर के विवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) (वौथा संशोधन) विनियम, 2017 जो 9 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 224(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 6863/16/17]

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) कंपनी (तंत्रित कार्यवाहियों का अंतरण) विनियम, 2016 जो 7 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1119(अ) में प्रकाशित हुए थे।  
(दो) कंपनी (समझौते, कारार और वित्तीनीकरण) विनियम, 2016 जो 14 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1134(अ) में प्रकाशित हुए थे।  
(तीन) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण(कंपनी की शेरार पूँजी में कमी की प्रक्रिया) विनियम, 2016 जो 16 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1147(अ) में प्रकाशित हुए थे।  
(चार) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (संशोधन) विनियम, 2016 जो 20 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1159(अ) में प्रकाशित हुए थे।  
(पांच) कंपनी (कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों के नाम हटाना) विनियम, 2016 जो 27 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1174(अ) में प्रकाशित हुए थे।  
(छह) कंपनी (निगमन) पांचवा संशोधन विनियम, 2016 जो 29 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1184(अ) में प्रकाशित हुए थे।  
(आठ) कंपनी (निगमन) संशोधन विनियम, 2017 जो 27 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 70(अ) में प्रकाशित हुए थे।  
(आठ) कंपनी (तंत्रित कार्यवाहियों का अंतरण) संशोधन विनियम, 2017 जो 28 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 175(अ) में प्रकाशित हुए थे।  
(नौ) कंपनी (आरतीय लेखांकन मानक) (संशोधन) विनियम, 2017 जो 17 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 258(अ) में प्रकाशित हुए थे।  
(3) उपर्युक्त (2) की मद सं. (i) से (iii)में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6864/16/17]

(4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट आईएफएससी सार्वजनिक कंपनियों को छूट, जो 5 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 8(अ) में प्रकाशित हुए थे।  
(दो) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट आईएफएससी प्राइवेट कंपनियों को छूट, जो 5 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 9(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 467 की उप-धारा (3) के अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूती-II में संशोधन करने के संबंध में सा.का.गि. 1075(अ) जो 17 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए वितानब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 470 की उप-धारा (2) के अंतर्गत कंपनी (कठिनाइयों का निराकरण) चौथा आदेश, 2016 जो 7 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3676(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए वितानब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा राज) : मठोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखाती हूँ : -

(1) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 14 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(एक) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई टिल्टी के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित तेज्ये।

(दो) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई टिल्टी के वर्ष 2015-2016 के कार्रकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए वितानब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

---

## **12.01 hours**